62

Rs. 20/-

न्यायालय श्रीमान सदस्य/अध्यक्ष राजस्व मण्डल सर्किटकोर्ट रीवा, (म0प्र0)

निगरानी 1611-II-15

158
28.5.15

बुद्ध गणेश पिता पोगइया कुम्हार, निवासी पहाड़ी, रा0नि0 मैहर, थाना/ तह0 मैहर, जिला सतना म0प्र0 ------- निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ----- गैरनिगराकार

अपील/निगरानी रा0प्र0क्र0-1-अ-68/14-15

आदेश दिनांक 27.04.2015 अनुविभागीय अ महोदय, मैहर, जिला सतना म0प्र0

श्री.. सुनील शुक्ला एडवो.
द्वारा आज दि... 28.5.15
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (म0प्र0भू0रा0सं

8.6.15

मान्यवर,

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष 2013-14 मे निगरानीकर्ता/ अना0 के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि आराजी नं0 505 रकबा 0.042 हे0 म0प्र0 शासन की भूमि के अंश भाग 12×10 वर्गफिट रकबे पर निग0 /अना0 द्वारा मढ़ैया बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया निगरानीकर्ता/ अना0 को तलब किया गया, तलबी के पश्चात निगरानीकर्ता/ अना0 ने अपना जवाब तहसीलदार तह. मैहर के समक्ष पेश किया जिसमे यह कथन किया कि वह एक भूमिहीन व्यक्ति है तथा हरिजन जाति का व्यक्ति है जिसे भूमि से बेदखल न किया जाय परंतु निगरानीकर्ता/ अनावेदक के किसी बात को नही सुना गया व माननीय तहसीलदार महोदय, द्वारा निगरानीकर्ता/ अना0 के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित कर दिया गया, तथा इसके पश्चात प्रकरण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R..1611–II/15 जिला–सतना

बुद्धगणेश कोल/ शासन(म0प्र0)

(1)	(2)	(3)
18.01.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	